

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

S.D.O

मुकाम

बड़ीसादड़ी

किस्म मुकद्दमा

श्री रामेश्वर वर्मा

बनाम

श्री हरलाल वर्मा

BB R.N.A.C

नं.

45/18

सन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/5/18	<p>राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 के तहत कैम्प कोर्ट <u>पुणे</u> पर प्रार्थी द्वारा इस आशय का वाक पत्र अन्तर्गत धारा <u>80</u> आर. टी. एक्ट के तहत पेश किया कि <u>श्री रामेश्वर नारायण, जयराज/335, माजरा/351 मीठा</u> <u>हरलाल वर्मा, जयराज/335, माजरा/351 मीठा</u> <u>जयराज/335, माजरा/351 मीठा</u> 1/2 एक दिवस का सकारण सिम गम। जे मुय रूत गदि नइने एक दिवस इत प्रमू पावे</p> <p>पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया। प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई।</p> <p>अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा <u>फाचर की विवाही मा. 0.755</u> <u>0.05 है. म. पा. है 1/2 है वाजी गम श्री रामेश्वर नारायण</u> <u>जयराज/335, माजरा/351 मीठा का नाम इत प्रमू</u> <u>जति के अउर दिने जात है</u></p> <p>इसी अनुसार डिक्री जारी की जाकर पालना हेतु तहसीलदार बड़ीसादड़ी को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	

(Handwritten signature)
 (जितेन्द्र कुमार पाण्डे)

पीतासीन अ. धेकार, लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी
 पदेन सहायक कलेक्टर
 बड़ीसादड़ी (राज.)

